न्यायालय– अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :– 383/2019
CIS No. :– TS/383/2019
CNR No. :– BRWC22–000563–2019

चम्पा देवी बनाम् **शैयद मुन्ना आलम एवं अन्य**

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
24.01.2022	अभिलेख वर्चुअल मोड में पेश हुयी। प्रतिवादीगण की ओर से वर्चुअल मोड द्वारा अभिलेख में पैरवी की गयी। उभयपक्ष द्वारा विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल मोड में उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण द्वारा मौखिक निवेदन इस आशय का किया गया कि उनके द्वारा दिनांक 29.10.2021 को दाखिल बयान तहरीरी को स्वीकृत कर अभिलेखावलित किया जाय। वादिनी की ओर से मौखिक आपत्ति की गयी। वर्चुअल मोड में सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के परिशीलन से ज्ञात होता है कि प्रतिवादी शैयद रेहान अहमद उर्फ मुन्ना आलम, शैयद फैजान अहमद उर्फ शैयद बॉबी एवं गुलाम इर्तजा उर्फ शैयद बिमल दिनांक 19.03.2021 को अभिलेख पर उपस्थित हुए। परन्तु इनके द्वारा बयान तहरीरी दिनांक 29.10.2021 को दाखिल किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर बयान तहरीरी प्रस्तुत नहीं करने के कारण वाद की कार्यवाही प्रभावित होती रही है। वाद के गुण–दोष के आधार पर निस्तारित करने के लिए अभिवचनो का अभिलेख पर उपलब्ध होने हेतु उक्त बयान तहरीरी को स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 29.10.2021 को दाखिल बयान तहरीरी स्वीकार किये जाने योग्य है। जहां तक विलम्ब का प्रश्न है उसकी क्षतिपूर्ति हर्जे से की जा सकती है। **<u>आदेश</u>** प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 29.10.2021 को दाखिल बयान तहरीरी मुव० 400/– रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए अभिलेखावलित किया जाता	

न्यायालय— अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :— 383/2019
CIS No. :— TS/383/2019
CNR No. :— BRWC22–000563–2019

चम्पा देवी बनाम् **शैयद मुन्ना आलम एवं अन्य**

<u>लगातार</u> **24.01.2022**	है। प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि वे हर्जा की राशि वादिनी को अदा करना सुनिश्चित करें। हर्जा अदायगी पर ही दिनांक 29.10.2021 को दाखिल बयान तहरीरी स्वीकार व अभिलेखावलित माना जाएगा। अभिलेख वास्ते हर्जा अदायगी/प्रतिवादी संख्या 3 की उपस्थिति हेतु दिनांक—25.02.2022 को पेश हो। अवर न्यायाधीश तृतीय न्याय कक्ष—4 नरकटियागंज	